



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण आम सभा मंगलवार, 14 फरवरी, 2012 को प्रातः 10.30 बजे पूर्वश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, भारतीय कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201, सेक्टर-3, सॉल्टलेक सिटी, कोलकाता-700106 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी :

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (जिसे इसमें इसके बाद 'विनियमन अधिनियम' कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'योजना' कहा गया है) तथा इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'विनियमन' कहा गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 9(3)(i) की शर्तों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसी.सं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी सं. बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 (जिसे इसके पश्चात् 'आरबीआई अधिसूचना' कहा गया है) के अनुसार शेयरधारकों के बीच से 'केन्द्रीय सरकार को छोड़कर' तीन निदेशकों तक चयन करना तथा निर्मांकित संकल्प को संशोधन(नों) सहित अथवा रहित पारित करना : 'यह संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत सृजित एवं साथ पठित संगत योजना/विनियमों तथा आरबीआई अधिसूचना के अनुसार बैंक के शेयरधारकों, केन्द्रीय सरकार से भिन्न, के बीच से श्री....., श्री..... एवं श्री..... को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए एवं एतद्वारा नियुक्त किया जाता है तथा वे दिनांक 15.02.2012 से, ऐसे कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे।'

निदेशक मंडल के आदेश से
इलाहाबाद बैंक की ओर से

(जे. पी. दूआ)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 11 जनवरी, 2012
नोटिस :

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक में की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित तथ्यात्मक सूचनाओं पर व्याख्यात्मक विवरण एतद्वारा संलग्न किया जाता है।

2. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2E) के अनुसार तदनुसूची नए बैंक का कोई शेयरधारक, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, उसके द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के 1 प्रतिशत से अधिक हेतु मतदान के अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन, विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो कट-ऑफ तारीख 31.12.2011 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, हाथ दिखाकर एक मत रखता है तथा चुनाव के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत रखता है।

विनियम के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो पंजी में दर्ज प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक मानकर उसे मत देने का अधिकार होगा। अतः यदि शेयर संयुक्त नाम में है तो पहले नामवाला व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा तथा बैठक में मत डालने (मतदान द्वारा अथवा हाथ दिखाकर) हेतु पात्र होगा।

3. कट-ऑफ तिथि

जैसाकि नोटिस में उल्लिखित है केन्द्रीय सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों तक के निर्वाचन अर्थात् नामांकित करने, चुनाव लड़ने और चुनाव में मत देने हेतु पात्र शेयरधारकों के नाम निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कट-ऑफ तिथि शनिवार, 31 दिसम्बर, 2011 है।

4. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को परोक्षी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से बैठक में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे परोक्षी का बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

तथापि, ऐसे नियुक्त परोक्षी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

कोई ऐसा व्यक्ति परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता जो इलाहाबाद बैंक का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।

इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999 के विनियम 70(vi) के अनुसार परोक्षी के लिखत, के प्रदाता को बैठक में, जो ऐसी लिखत से संबंधित हो, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मत देने का अधिकार नहीं होगा।

परोक्षी फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे शेयर एवं निवेशक शिकायत निवारण कक्ष, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 में असाधारण आम सभा की बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, दिनांक 9 फरवरी, 2012 को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक, अथवा इससे पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त हो जाना चाहिए।

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति, उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित नहीं की गई है, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर विभाग एवं निदेशक शिकायत कक्ष, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001, में असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, 9 फरवरी, 2012 को कार्यसमाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जाए।

6. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें और इसमें दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर इसे बैंक स्थल पर प्रस्तुत कर दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर यथास्थिति 'प्रॉक्सी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' का उल्लेख करें।



ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE : 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA - 700 001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Allahabad Bank will be held on Tuesday the 14th February, 2012 at 10.30 a.m. at Purbashree Auditorium, Eastern Zonal Cultural Center, Bhabaniyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106, to transact the following business:

To elect upto **THREE** directors from amongst the shareholders of the Bank, other than Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 (hereinafter referred to as the "Regulations") and Notification No. DBOD. No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1-11-2007 and DBOD. No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notifications") and to pass the following resolution with or without modification(s) :-

"RESOLVED THAT Shri....., Shri..... and Shri....., be and are hereby elected Directors from amongst the shareholders of the Bank, other than Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations made there under and RBI Notifications and shall assume office from 15-02-2012 for a period of three years from the date of such assumption."

By Order of the Board of Directors
For Allahabad Bank

Place : Kolkata
Date : 11 January, 2012

(J.P. Dua)
Chairman & Managing Director

NOTES :

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the cut-off date i.e 31-12-2011, shall have one vote on show of hands and in case of a poll, shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

3. CUT-OFF DATE

Saturday, the 31st December, 2011 is the cut-off date for the purpose of determining the names of the shareholders entitled to participate in the election i.e., to nominate, contest and vote for the election of upto three directors representing the shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

4. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.

As per Regulation 70(vi) of the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. The proxy form, in order to be effective, must be received at the Share Department & Investors' Grievance Cell, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the close of business hours i.e upto 5.00 p.m. on Thursday, 9th February 2012.

5. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Share Department & Investors' Grievance Cell, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the close of business hours i.e upto 5.00 p.m. on Thursday, 9th February 2012.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill-in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.



व्याख्यात्मक विवरण

तीन शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

● **निदेशकों का चुनाव करने हेतु शेयरधारकों के अधिकार**

फिलहाल बैंक की 58% की प्रदत्त पूंजी केन्द्रीय सरकार के पास है तथा बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 42% है। अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार, इलाहाबाद बैंक में शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम तीन निदेशक (केन्द्रीय सरकार से भिन्न) होने चाहिए।

बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री देवेश्वर कुमार कपिला, डॉ. वसंत बाबुराव कौजलगी तथा श्री सुदीप चौधरी की कार्यावधि दिनांक 29.06.2011 को समाप्त हो गई।

चूँकि बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता उसकी प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक है, अतः बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले (केन्द्रीय सरकार से भिन्न) तीन निदेशकों तक के चुनाव के लिए बैंक की असाधारण आम सभा बुलाई गई है।

अतएव, शेयरधारक (केन्द्रीय सरकार से भिन्न) संबंधित अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना, अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं, जिनके संगत भाग नीचे इंगित किए गए हैं, में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार अपने आवेदन प्रेषित करने हेतु पात्र हैं।

चुने गए निदेशक बुधवार, 15 फरवरी 2012 को कार्यभार ग्रहण करेंगे और कार्यालय में कार्य ग्रहण करने की तारीख से तीन-वर्ष की अवधि के लिए निदेशक बने रहेंगे।

● **विधिक प्रावधान**

निम्नलिखित सारणी में उपर्युक्त विषय को शासित करने वाले विभिन्न अधिनियमों/योजना/विनियमनों/अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान दिए गए हैं।

अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना		प्रावधान
क	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 20
ख	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2E), धारा 9(3)(i), धारा 9(3A) (A) से (C) तक, धारा 9(3AA), धारा 9(3AB), धारा 9(3B) एवं धारा 13(2)
ग	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना, 1970	खंड 9(4), खंड 10, खंड 11, खंड 11A, खंड 11B, खंड 12(8)
घ	इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बँटके) विनियमन, 1999	विनियमन 10, 61, 63 से 70 तक
ङ	भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाएं सं. बैंपवि सं. बीसी सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1.11.2007 और बैंपवि सं. बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3AA) और धारा 9(3AB)

उपर्युक्त प्रावधानों का सारांश निम्नांकित है :

क. बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 20 अपने किसी निदेशक को अथवा उनकी ओर से कोई ऋण अथवा अग्रिम की संस्वीकृति हेतु कतिपय प्रतिबंध लगाती है।

ख. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2E) केन्द्र सरकार से भिन्न किसी शेयरधारक को सभी शेयरधारकों के कुल मतदान के अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मतदान के अधिकार से प्रतिबंधित करती है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) बैंक में शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या निर्धारित करती है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3A)(A) से (C) तक कतिपय योग्यताएँ निर्धारित करती हैं कि धारा 9(3)(i) के अंतर्गत नामित किए जाने वाले निदेशकों को कतिपय क्षेत्रों का विशिष्ट ज्ञान होगा।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3AA) तथा (3AB) निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक की वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसी. सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के साथ पठित डीबीओडी सं. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के माध्यम से अधिसूचित सत्यनिष्ठा एवं अन्य ऐसे मानदण्डों, ट्रेकर रिकार्ड के आधार पर स्वस्थ एवं उपयुक्त हैसियत का न हो।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3B) भारतीय रिज़र्व बैंक के उस अधिकार से संबंधित है जिसके अंतर्गत उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत चुने गए निदेशक को उसे हटाने का अधिकार है, जो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9(3A) एवं धारा 9(3AA) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं।

धारा 13(2) के अनुसार प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड अथवा समिति का सदस्य अथवा लेखा परीक्षक, परामर्शदाता, बैंक का अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी अपना कार्यभार संभालने से पहले निर्दिष्ट फार्म में विश्वस्तता एवं गोपनीयता की घोषणा करने हेतु बाध्य है।

ग. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार कोई निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारित करेगा तथा पुनर्निर्वाचित होने का पात्र होगा बशर्ते कि ऐसा निदेशक लगातार 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदधारण नहीं करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के खंड 10 निदेशकों की कतिपय अनर्हताओं की व्याख्या करता है।



EXPLANATORY STATEMENT ELECTION OF THREE SHAREHOLDERS' DIRECTORS

● RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

At present, 58% of the paid up capital of Bank is held by the Central Government and the public shareholding in the Bank is 42%. As per Section 9(3)(i) of the Act, Allahabad Bank should have a maximum of three directors representing shareholders of the Bank (other than the Central Government).

The term of office of the Shareholders' Directors of the Bank, namely Shri Deveshwar Kumar Kapila, Dr. Vasant Baburao Kaujalgi and Shri Sudip Chaudhuri, expired on 29-06-2011.

As the public shareholding in the Bank continues to be more than 32% of the paid up capital of the Bank, an Extraordinary General Meeting of the Bank has been called for election of upto three directors representing shareholders (other than the Central Government) of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore, entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act, Regulation Act, Scheme, Regulations, RBI Notifications, the relevant portions of which have been indicated hereunder.

The elected directors will assume office from Wednesday, 15th February, 2012 and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

● LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Scheme/Regulations/Notifications governing the matter.

	ACT/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATIONS	PROVISIONS
A	Banking Regulation Act, 1949	Section 20
B	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3(2E), Section 9(3) (i), Section 9(3A) (A) to (C), Section 9(3AA), Section 9(3AB), Section 9(3B) and Section 13(2)
C	Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4), Clause 10, Clause 11, Clause 11A, Clause 11B, Clause 12(8)
D	Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999	Regulation 10, 61, 63 to 70
E	Notification No. DBOD. No. BC. No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 1-11-2007 and DBOD. No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011 of Reserve Bank of India.	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9(3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

The gist of the aforementioned provisions is described herein below :

- A. Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949 places certain restrictions for granting any loan or advance to or on behalf of any of its directors.
- B. Section 3(2E) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 restricts the voting right of a shareholder other than the Central Government to one percent of the total voting rights of all the shareholders.
Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 prescribes the number of directors to be elected by the shareholders (other than the Central Government) in such Banks. Section 9(3A) (A) to (C) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 prescribes certain qualifications specifying that the directors to be nominated under Section 9 (3) (i) shall have special knowledge in certain fields.
Section 9(3AA) and (3AB) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 prescribes that no person shall be eligible to be elected as director of Bank unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank of India notified vide its Notification No. DBOD. No. BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 1-11-2007 read with DBOD. No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011.
Section 9(3B) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, deals with the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9(3)(i) of the aforesaid Act, who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and Section 9(3AA) of the said Act.
Section 13(2) deals with obligations of every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other Employee of the Bank to make a declaration of fidelity and secrecy in the prescribed form, before entering upon his office.
- C. Clause 9(4) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 says that an elected director shall hold office for a period of three years and shall be eligible for re-election, provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.
Clause 10 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 specifies certain disqualifications for directors.



राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के खण्ड 11 निदेशकों द्वारा कार्यालय छोड़ने से संबंधित है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के खण्ड 11A उस परिस्थिति से संबंधित है जहाँ अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत चुने गए निदेशक को हटाया जा सकता है तथा उस रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को चुना जा सकता है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के खण्ड 11B आकस्मिक रिक्ति से संबंधित है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के खण्ड 12(8) निदेशकों द्वारा अपने हित के प्रकटीकरण से संबंधित है जिसमें कतिपय व्यवस्थाओं में उनके हित हों।

घ. इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 का विनियम 10 संयुक्त शेयरधारकों के मामले में मताधिकार को निर्धारित करने से संबंधित है।

इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के विनियम 61, 63 से 70 तक निदेशक के रूप में किसी अभ्यर्थी को नामित किए जाने की कतिपय शर्तों, चुनाव प्रक्रिया तथा एतदसंबंधी अन्य मुद्दों से संबंधित है।

ङ. अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना का सार वेबसाइट पर :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना पत्र की प्रति के साथ-साथ बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना 1970 तथा इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1999 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी सं. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के संगत उपबंधों का सार बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर दिया गया है।

● अभ्यर्थी हेतु अर्हताएँ

अभ्यर्थी अधिनियम की धारा 9(3A) में निर्धारित अर्हताओं का अनुपालन करेगा एवं योजना के खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट अनर्हताओं से बाधित नहीं होगा तथा इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगा जिनका वर्णन नीचे किया गया है :

(क) अधिनियम की धारा 9(3A) की शर्तों के अनुसार कोई भी प्रत्याशी जो बैंक का शेयरधारक है और जो अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होना चाहता है, उसे

(i) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :-

— कृषि एवं ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था

— बैंकिंग

— सहकारिता

— अर्थशास्त्र

— वित्त

— विधि

— लघु उद्योग

— कोई अन्य विषय, जिसका उसे विशेष ज्ञान हो और व्यावहारिक अनुभव हो, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो,

(ii) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

(iii) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो,

(ख) अधिनियम की धारा 9(3AA) के अनुसार, कोई प्रत्याशी जो बैंक का शेयरधारक है और जो बैंक का निदेशक बनने हेतु नामांकन दर्ज करता है उसे 'स्वस्थ और उपयुक्त हैसियत' का होना चाहिए।

(ग) आगे निर्वाचित निदेशक को एक प्रतिज्ञा पत्र निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएँ प्रस्तुत करनी होंगी।

● बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अनर्हताएँ :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के खण्ड 10 के अनुसार कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अनर्ह होगा :-

(क) यदि वह किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णित हुआ तो या उसने ऋण अदा न किया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता किया हो; अथवा

(ख) यदि वह विकृत चित्त का हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा

(ग) यदि वह किसी दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्गुह्य हो; अथवा

(घ) यदि वह किसी पूर्ण कालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (e) एवं (f) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में कोई लाभ का पद धारित करता हो;



Clause 11 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 deals with vacation of office by directors.

Clause 11A of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 deals with the situation where a director elected under Section 9(3) (i) of the Act may be removed and another person instead of him be elected to fill the vacancy.

Clause 11B of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 deals with casual vacancy.

Clause 12 (8) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 deals with the disclosure of interest by directors, in certain arrangements in which they are interested.

- D. Regulation 10 of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 determines the voting rights in the case of joint holding of shares.

Regulations 61, 63 to 70 of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 prescribes certain conditions for nominating a person as a candidate for election as a director, the procedure for conducting an election and deal with other matters related and incidental thereto.

E. **EXTRACTS OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATION IN WEBSITE**

For the convenience of the shareholders, a copy of the Notice together with the relevant extracts from the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 as well as RBI Notification No. DBOD. No. BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 1-11-2007 and DBOD. No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011 will be hosted on the Bank's website www.allahabadbank.in.

● **QUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE**

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, and detailed herein.

- (a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act, shall :

(i) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely :—

- Agriculture and rural economy
- Banking
- Co-operation
- Economics
- Finance
- Law
- Small scale industry

— Any other matter, the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India, be useful to the Bank; or

(ii) represents the interests of depositors; or

(iii) represents the interests of farmers, workers and artisans

- (b) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who files nomination to be a Director of the Bank should possess 'fit and proper' status.
- (c) Further the elected Director should execute a deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

● **DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK :**

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director :

- a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act 1959 except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank;



एवं

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना — डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 जो डीबीओडी. सं. बीसी. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के साथ पठित है के अनुसार यदि वह बैंक के निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा 'स्वस्थ एवं उचित' नहीं पाया गया।

● शेयरधारकों की सूची

दिनांक 31.12.2011 (व्यवसाय समय की समाप्ति पर) को यथास्थिति बैंक के शेयरधारकों की सूची की एक प्रति इस प्रयोजन हेतु महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी को किए गए आवेदन पत्र के साथ कोलकाता में देय इलाहाबाद बैंक के पक्ष में मांग ड्राफ्ट द्वारा रुपए 50,000/- के भुगतान पर खरीद हेतु 22.01.2012 को और उसके बाद बैंक के प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 में उपलब्ध होगी।

● शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों द्वारा शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण इलाहाबाद बैंक, शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 में दिनांक 22.01.2012 से सोमवार से शुक्रवार को अपराह्न 3 बजे से 5 बजे एवं शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे के बीच सभी कार्य दिवस पर किया जा सकता है एवं शेयरधारक शेयरधारकों के रजिस्टर से किसी भी अंश का सार प्राप्त कर सकता है अथवा बैंक से संगत भाग के कंप्यूटर प्रिंट हेतु प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके आगे के भाग हेतु रुपए 5/- की दर से परिकलित राशि की पूर्व अदायगी पर अनुरोध कर सकता है।

● निर्वाचन में सहभागिता

ऐसे शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने (अर्थात् नामांकित करने, चुनाव लड़ने एवं वोट देने) हेतु पात्र होंगे जिनके नाम एसटीए/एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा दिनांक 31.12.2011 (व्यवसाय-समय की समाप्ति पर) को यथास्थिति बनाई गई सूची के अनुसार बैंक के शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज हैं।

● नामांकन

(I) नामांकन की वैधता

इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के साथ पठित डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 एवं विभिन्न अधिनियमों के लागू अन्य उपबंधों के अनुसार निर्वाचन हेतु बतौर निदेशक किसी प्रत्याशी का नामांकन वैध होगा बशर्ते :

- (क) वह एक ऐसा शेयरधारक है जो 31.12.2011 अर्थात् कट ऑफ डेट को इलाहाबाद बैंक के 100 (एक सौ) से कम नहीं इक्विटी शेयर धारित करता है एवं निर्वाचन की तारीख तक न्यूनतम 100 इक्विटी शेयर धारित करना जारी रखता है एवं तत्पश्चात भी, यदि उसे चुना जाता है।
- (ख) 31.01.2012 की तारीख को नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होने पर भी, वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 अथवा इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999 अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचनाओं के तहत अनर्ह नहीं है।
- (ग) नामांकन लिखित रूप में नहीं है और उस पर कम से कम एक सौ ऐसे शेयरधारकों के हस्ताक्षर नहीं हैं जो इस अधिनियम के अधीन स्वयं या सम्यक रूप से नियत अपने अटर्नियों द्वारा निदेशकों का निर्वाचन करने के हकदार हैं, परन्तु यह कि यदि शेयरधारक कोई कंपनी हो तो उसके द्वारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जा सकेगा और यदि ऐसा किया जाता है तो उक्त संकल्प की एक ऐसी सत्य प्रति महाप्रबंधक (एफ एंड ए), सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी, प्रधान कार्यालय, 2, एन.एस.रोड, कोलकाता-700001 को संबोधित कर बैंक के प्रधान कार्यालय के पास जमा / प्रेषित की जाएगी जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की गई हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था तथा ऐसी प्रति को कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा।

(घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए नामांकन के साथ

- (i) किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा संलग्न या अंतर्विष्ट नहीं है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन में खड़ा होने को इच्छुक है तथा वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम अथवा अधिनियम या योजना के अधीन निदेशक होने के लिए अनर्ह नहीं है।
- (ii) उनके द्वारा प्रस्तुत विधिवत हस्ताक्षरित उनका व्यक्तिगत विवरण (जीवनवृत्त) तथा इस संबंधी पुष्टीकरण कि प्रस्तुत किए गए विवरण उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
- (iii) एतदसंबंधी उनकी घोषणा कि वह जहाँ तक संभव है, ऐसी घोषणा के बाद भी जानकारीयों में कतिपय परिवर्तन के संबंध में बैंक को पूर्णतः सूचित करते रहेंगे।

(ङ) नामांकन फॉर्म एवं घोषणा फॉर्म संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार है



and

- (B) In terms of Notification of Reserve Bank of India -DBOD. No. BC. No. 46& 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 read with DBOD No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011, if he is not found to be 'fit and proper' person by the Nomination Committee of the Board of Directors of the Bank.

● **LIST OF SHAREHOLDERS**

A copy of the List of Shareholders of the Bank as on 31-12-2011(close of Business hour) will be available for sale on and from 22-01-2012 on payment of Rs. 50,000/- by demand draft in favour of Allahabad Bank payable at Kolkata, along with a request addressed to the General Manager (F &A), CFO & Compliance Officer, at Bank's Head Office, 2 Netaji Subhas Road, Kolkata-700001.

● **INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS**

The Register of Shareholders will be open for inspection by the shareholders at the Allahabad Bank, Share Department & Investors' Grievance Cell, Head Office 2, Netaji Subhas Road Kolkata-700 001 on all working days commencing from 22-01-2012 between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. on Monday to Friday and on Saturdays between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. The shareholders can take extracts of any part from the Register of shareholders or request the Bank for computer prints of the relevant portions, on pre-payment of an amount to be calculated at the rate of Rs. 5/- for every 1000 words or part thereof.

● **PARTICIPATION IN ELECTION**

Such of those shareholders whose names appear on the Bank's Register of shareholders/are Beneficial owners as per list furnished by STA/NSDL/CDSL as on 31-12-2011(close of Business hour) shall be entitled to participate (i.e. nominate, contest and vote) in election of directors.

● **NOMINATION**

(I) **Validity of nominations**

In terms of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, RBI Notification No. DBOD. No. BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 1-11-2007 read with DBOD. No. BC.No.95/29.39.001 2010-11 dated 23-05-2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided :

- (a) he is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) equity shares of Allahabad Bank as on 31-12-2011 i.e. Cut-off Date and continues to hold a minimum of 100 equity shares till the date of election and thereafter if he/she is elected.
- (b) as on 31-01-2012 being the last date of receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a Director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 or RBI Notifications.
- (c) the nomination is in writing signed by at least one hundred (100) shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched/deposited to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager (F&A), CFO & Compliance office, Head Office, 2, Netaji Subhas Road Kolkata-700 001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- (d) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by :
 - (i) a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or officer of Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme, or the Regulations.
 - (ii) His/Her personal details (bio data) duly signed, affirming that details furnished are true to the best of his knowledge and belief.
 - (iii) His/Her undertaking to keep the Bank fully informed of such events effecting any change in the relevant information, subsequent to the declaration.
- (e) the Nomination Forms and the declaration Form are as per the annexed Proforma.



(II) नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करना

बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक इस नोटिस के साथ संलग्न फॉर्म में विधिवत रूप से भरे एवं सब प्रकार से पूर्ण अपना घोषणा पत्र, नामांकन फॉर्म (निर्वाचन में न्यूनतम 100 शेयरधारक भाग लेने हेतु पात्र हैं), व्यक्तिगत सूचना एवं शपथपत्र के साथ-साथ संबंधित दस्तावेजों एवं शंसापत्रों यथा जीवनवृत्त, शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव इत्यादि संबंधी प्रमाणपत्र मुहरबंद लिफाफे में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी को बैंक के प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 के पास असाधारण आम सभा हेतु नियत तारीख से कम-से-कम चौदह दिन पूर्व किसी भी कार्य दिवस को अर्थात् दिनांक 31.01.2012 को अपराह्न 5.00 बजे तक अर्थात् बैंक के कार्य-समय की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए।

(III) उम्मीदवारी को वापस लिया जाना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह दिनांक 09.02.2012 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक किसी भी समय ऐसा करने का हकदार होगा।

(IV) नामांकन की संवीक्षा एवं निदेशकों का निर्वाचन

- (क) नामांकन की संवीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना के अनुसार बैंक के बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा दिनांक 01.02.2012 को अर्थात् नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत तारीख के बाद के प्रथम कार्य-दिवस को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो कारण अभिलिखित करने के बाद उसे रद्द कर दिया जाएगा।
- (ख) यदि निर्वाचन से भरी जाने वाली तीन रिक्तियों हेतु केवल तीन वैध नामांकन हों इस प्रकार नामित उम्मीदवार तत्काल निर्वाचित समझा जाएगा एवं इस स्थिति में निर्वाचित निदेशक का नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी दशा में असाधारण आम सभा को रद्द माना जाएगा। तथापि, निर्वाचित उम्मीदवार दिनांक 15.02.2012 को पदग्रहण करेगा।
- (ग) कोई निर्वाचन होने की दशा में यदि वैध नामांकन की संख्या तीन से अधिक हो तो जिन उम्मीदवारों के पक्ष में बहुमत होगा उसे निर्वाचित समझा जाएगा एवं उसका नाम बैंक के अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाएगा तथा साथ ही समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। वे दिनांक 15.02.2012 को पदग्रहण करेंगे।
- (घ) कोई विवाद होने पर उसका निपटान इलाहाबाद बैंक (शेयर और बँडके) विनियमन, 1999 के विनियमन 67 के अनुसार किया जाएगा।

● मतदान प्रक्रिया की तारीख : 14.02.2012

- निदेशकों के निर्वाचन हेतु मतदान हाथ दिखाकर नहीं किया जाएगा किंतु गुप्त बैलट के माध्यम से मतदान द्वारा होगा।
- बैलट पेपर तभी जारी किया जाएगा जब इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा की जाएगी एवं यह अपराह्न 1.00 बजे तक जारी रहेगा।
- बैलट पेपर शेयरधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को बैलट पेपर पास जमा करने पर जो उन्हें पंजीकरण के समय दिया गया था, इस संबंध हेतु बनाए गए कार्डटर पर जारी किया जाएगा। वोटों की संख्या उनके द्वारा दिनांक 31.12.2011 की तारीख को (कार्य-समय की समाप्ति पर) धारित शेयरों की संख्या के समतुल्य होगी।
- शेयरधारक अपने मताधिकार का प्रयोग बैलट पेपर में अपने विकल्प के तीन उम्मीदवारों के नाम के सामने रबड़ स्टाम्प (X) की छाप लगाकर कर सकता है एवं उसे मतदान पेटी (बैलट बॉक्स) में डाल देगा।
- तत्पश्चात् वोटों को गिना जाएगा एवं अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी।
- निर्वाचन की समूची प्रक्रिया का आयोजन बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, बैंक द्वारा कथित प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा किया जाएगा एवं केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि, जो प्रेक्षक की भूमिका अदा करेगा, द्वारा इस पर नजर रखी जाएगी।

● निदेशकों का हित

इस संकल्प में बैंक के किसी भी वर्तमान निदेशक की संबद्धता अथवा हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
इलाहाबाद बैंक की ओर से

(जे. पी. दूआ)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 11 जनवरी, 2012



(II) SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors should submit Declaration Form, Nominations form (minimum of 100 shareholders entitled to participate in the election), Personal Information, Undertaking, in the format annexed to this notice, duly filled in and complete in all respect, together with the connected documents, testimonials viz. Bio data, certificates of educational qualifications, experience etc., in a sealed envelope to the General Manager (F&A), CFO & Compliance Officer, at Bank's Head Office, 2, Netaji Subhas Road Kolkata-700 001 on any working day, at least fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the close of Business hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m. on 31-01-2012.

(III) WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his candidature, he would be entitled to do so at any time prior to the close of Business hours of the Bank i.e., upto 5.00 p.m. on 09-02-2012.

(IV) SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

- (a) Nominations shall be scrutinized on 01-02-2012, i.e. the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations, by the Nomination Committee of the Board of the Bank, in terms of the RBI Notification and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- (b) If there are only upto three valid nominations for the three vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event the Extraordinary General Meeting will stand cancelled. However, the elected candidates shall assume office only on 15-02-2012.
- (d) In the event of an election being held, if valid nominations are more than three, the candidates polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be announced by the Chairman and also be published in the newspapers. They will assume office on 15-02-2012.
- (e) If there is any dispute, the same shall be settled as per Regulation 67 of the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

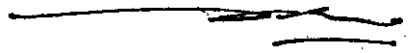
● POLL PROCESS ON 14-02-2012

- The voting for election of directors will not be on the basis of show of hands but shall be done by Poll by means of Secret Ballot.
- The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and continue upto 1.00 p.m.
- Ballot Papers shall be issued at the counters set up for this purpose to the shareholders/proxyholders/ authorized representatives on surrender of Ballot Paper Pass issued at the time of Registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on 31-12-2011 (close of business hour).
- Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of three candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box (es).
- The counting of votes would be taken up thereafter and the results would be announced by the Chairman.
- The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government representative, who will act as an observer.

● INTEREST OF DIRECTORS

None of the existing Directors of Bank are concerned or interested in the resolution.

By Order of the Board of Directors
For Allahabad Bank


(J.P. Dua)
Chairman & Managing Director

Place : Kolkata
Date : 11 January, 2012



घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा)

- मैं,.....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री/श्रीमती
.....निवासी एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि,
क. दिनांक 31-12-2011 को यानी निर्वाचन में भाग लेने की कट-ऑफ तारीख को बैंक के.....इक्विटी शेयर धारित करने वाला/वाली शेयर धारक हूँ और
ख. मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, या..... का (जिसका विशेष ज्ञान एवं जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है) विशेष ज्ञान है या व्यावहारिक अनुभव है* और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3A की शर्तों के अनुसार जमाकर्ताओं/कृषकों, कामगारों एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ जिसके प्रमाण स्वरूप एतद्वारा संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ और
ग. मैं.....(संख्या) नामांकन स्वीकार करता/करती हूँ तथा
घ. मैं इलाहाबाद बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ एवं
ङ. मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना, 1970, इलाहाबाद बैंक (शेयर और बँडके) विनियम, 1999, भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना के उपबंधों के अधीन बैंक का निदेशक होने के लिए अनर्ह नहीं हूँ तथा
च. मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में न तो कोई लाभ का पद धारित करता/करती हूँ और न ही उसका/उसकी कोई कर्मचारी हूँ तथा
छ. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता/करती हूँ जो मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं एवं
ज. मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं बैंक को उन घटनाओं से, यदि कोई हो, जो इस घोषणा के तदनंतर घटित हों, जो यहाँ दी गई सूचनाओं तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन संबंधी प्रतिज्ञा-पत्र विलेख को निष्पादित करने हेतु संगत हों, के बारे में यथाशीघ्र पूर्णतया सूचित करता रहूँगा/करती रहूँगी।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं./डीपीआईडी एवं क्लाइंट आईडी सं.	
स्थान	
तारीख	

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उपर्युक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

(अनुप्रमाणन अधिकारी की मुहर एवं नाम सहित हस्ताक्षर)

उम्मीदवार द्वारा घोषणापत्र में हस्ताक्षर अवश्य किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या इलाहाबाद बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष किया जाना चाहिए।)

*जो लागू है उसे टिक करें।



Declaration

(BY THE CANDIDATE)

- I, ...son/daughter/wife of Shri/Smt. resident of hereby confirm that :
- I am a shareholder holding equity shares of the Bank as on 31-12-2011 i.e. the Cut-off Date for participating in the elections, and
 - "I have special knowledge or practical experience in* (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors/farmers, workers and artisans; in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
 - I accept the nominations numbering....., and
 - I am willing to contest for the election of Director of Allahabad Bank, and
 - I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations 1999, RBI Notifications, and
 - I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and
 - I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete, and
 - I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Signature	
Name	
No. of shares	
Regd. Folio No./DP ID & Client ID	
Place	
Date	

The above declaration signed before me

Signature of the candidate

(Signature with Seal and name of the attesting official)

(The declaration must be signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Allahabad Bank or any Nationalized Bank.)

*Tick whichever is applicable.